संख्या: 07/2021/48बीपी/35-1-2021

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक: 18 मार्च, 2021

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशुधन विभाग की परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2/2021/16बीपी/35-1-2021 दिनांक 27 जनवरी, 2021 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश के पृष्ठांकन में क्रमांक 10 पर अंकित " वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ " के स्थान पर " वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ " पढ़ा जायेगा। सन्दर्भित शासनादेश की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगें। सन्दर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

संख्या: 07/2021/48बीपी (1)/35-1-2021 तद्व दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7. जिलाधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
8. मुख्य विकास अधिकारी,झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9. कोषाधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in